"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेशण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई,दिनांक 30–05–2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 525] रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 नवम्बर 2013—कार्तिक 29, शक 1935

पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-18/2009/35. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ डेयरी (राजपत्रित) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ .** — (1) ये नियम छत्तीसगढ़ डेयरी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 कहलाएंगे ।
   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं .** — इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन,
   (ख) "समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची-चार में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति के लिए तात्पर्यित चयन समिति,
   (ग) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
   (घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा,
   (ड) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन,
   (च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल,
   (छ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5, पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग,
   (ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों में संलग्न अनुसूची,
   (झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति,

(ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति,

(ट) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ डेयरी (राजपत्रित) सेवा,

(ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन** – सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मलित होंगे, अर्थात् :–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पदों पर मूल रुप से धारण कर रहे हो;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हो, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हो।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि**.– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे;

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

6. **भर्ती का तरीका** – (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा अथवा मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये, मूल रुप से धारण करते हों;

(2) उप नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाये जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर शासन व्दारा, आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में सेवा की आवश्यकताओ को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग के परामर्श के पश्चात्, सेवा में भर्ती [illegible] न तरीकों को छोड़, जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया हैं, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 ([illegible] सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति**– इन नियमों के प्र[illegible] पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जावेगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति [illegible] किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें**— सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :—

(एक) आयु— (क) अभ्यर्थी ने वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है कि जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची—तीन के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कालम (5) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रिमीलेयर) से संबंधित हों, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी·

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबध में, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुये, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो "छटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :— शब्द "छटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 6: माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु, इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:—

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें–
(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;
(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(चार) अवकाश रिक्तियां पर 6 (छः) माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिक/ अधिकारी;

(पॉच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;
(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं है;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियो के संबंध मे उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी है, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशण्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग–पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगें।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमायें शिथिल नहीं की जाएगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी ।

(ट) उपरोक्त संवर्गो के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिये जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव** –अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव होना चाहिये जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

(तीन) **फीस.– (क) शुल्क–** अभ्यर्थी को शासन द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किया गया हो, को स्वास्थ्य परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हता.– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा चयन के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

(1) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकते हो, से मुक्त घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों मे अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, के पश्चात्, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.**– (1) चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(2) चयन प्रकिया के किसी भी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति आयोग द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. **चयन/प्रतियोगिता परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.**– (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से समय–समय पर, अवधारित करें।

(2) आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना एवं निर्देशों के अनुसार ली जाएगी, जैसा कि शासन द्वारा आयोग के परामर्श से समय–समय पर जारी किये जायें।

(3) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि आयोग द्वारा विनिश्चित किया जाये।

(4) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कमांक 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा।

(6) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक के लिये पद, शासन द्वारा समय–समय पर जारी अधिनियम/नियम/आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

(7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (गैर–क्रिमिलेयर) के सदस्य है, नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जाएगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हो चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, उन अभ्यर्थियों, जो महिला/निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक हैं तथा जो आरक्षण के परिणामस्वरूप चयनित किये गये हैं, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हो, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रिमिलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए, नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पात्र घोषित किया गया हो उप–नियम (7) के अनुसार यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रिमिलेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) ऐसे मामलों में जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रिमिलेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रिमिलेयर) के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. **आयोग व्दारा चयनित किये गये अभ्यर्थियों की सूची**:– (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता कम मे व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हो तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रिमिलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची जो उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तथा महिला, निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची, जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, मेरिट कम में तैयार करेगा, जो शासन को सूची के भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष के लिये नियुक्ति हेतु विधिमान्य होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोग द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग के लिये एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्ग के लिये एक प्रतिक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदो के अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। इस सूची की विधिमान्यता ऐसी चयन सूची के जारी होने की तारीख से डेढ़ वर्ष की होगी।

स्पष्टीकरण– प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदो के 25% आंकलन के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु पाइंट (अंक) को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) आयोग, उप–नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को अग्रेषित करेगा।

(5) इस नियम तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने, त्यागपत्र देने या किन्ही कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम, नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

(8) यदि प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध किया जाता है, तो आयोग उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

(9) आयोग, शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, शासन को युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए, अधिकतम 6 माह की कालावधि के लिए, चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।

(10) चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि हो जाने पर, प्रतिक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वाभाविक वृद्धि होना माना जायेगा।

(11) उप–नियम (8) एवं (9) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, जब तक कि शासन ने वृद्धि हेतु युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए कोई सिफारिश न की हो।

13. **परिवीक्षा** :– (1) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(3) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति** – (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लेखित सदस्य सम्मिलित होगें:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अनधिक हो।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कमांक 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधो तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें**,– (1) उप–नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुये, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षो की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीतिः–संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर की जानी हो अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के

लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पद तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति योग्यता–सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जाती हो, वहां विचारण के लिए क्षेत्र कुल रिक्त पदो के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचारण के क्षेत्र में कुल रिक्तियों पदों की संख्या के सात गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश, पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.–** (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तो को पूरी करते हो तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं अधिकतम 25 % तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षित एवं पुनर्विलोकित की जायेगी।

(4) चयन, पुनरीक्षण अथवा पुनर्विलोकन की प्रक्रिया में यदि सेवा के किसी सदस्य यथास्थिति का अधिक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण हेतु कारणों को लेखबद्ध करेगी।

17 **आयोग से परामर्श.**–(1) नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:–

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख।

(दो) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित समस्त ऐसे व्यक्तियों के अभिलेख जो सूची में यथा अनुशंसित अधिक्रमण हेतु प्रस्तावित है।

(तीन) अनुसूची चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अधिक्रमण हेतु समिति के लेखबद्ध कारण।

(चार) समिति की सिफारिशों पर शासन की टिप्पणी।

(2) यदि पदोन्नति समिति में, आयोग के अध्यक्ष या कोई सदस्य, जिसे अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहे हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हो, तो उप-नियम (1) के अधीन उपरोक्त कार्यवाही अनिवार्य नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप-खंड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग से पृथक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

18. **चयन सूची.**– (1) आयोग, शासन से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ-साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे, तो सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो आयोग, प्रस्तावित परिवर्तन से शासन को सूचित करेगा तथा यदि शासन विचार करने के पश्चात्, कोई मत प्रकट करे, तो ऐसे परिवर्तनों सहित, यदि कोई हो, जो उसे न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त प्रतीत हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची-चार के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर सिविल सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची की वैधता अवधि इसके बनाने की तारीख से 31 दिसम्बर के बाद नहीं बढ़ाई जायेगी: परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा-संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां, में उसी कम से की जायेंगी, जिस कम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

20. **परिवीक्षा.**– सेवा में सीधे अथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

21. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

22. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इस नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

23. **निरसन एवं व्यावृत्ति:**– (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह, सचिव.

अनुसूची – एक

(नियम–5 देखिये)

स. क.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कुल पदों की संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड पे
		स्थायी	अस्थायी	कुल			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	उप दुग्ध आयुक्त	07	–	07	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	15600–39100	6600/–
2	सहायक दुग्ध आयुक्त	15	–	15	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	15600–39100	5400/–

अनुसूची—दो

(नियम—6 देखिये)

भर्ती का तरीका

स.क्र.	पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		
			सीधी भर्ती व्दारा [नियम 6 (1) (क) देखिये]	पदोन्नति व्दारा [नियम 6 (1) (ख) देखिये]	स्थानांतरण व्दारा [नियम 6 (1) (ग) देखिये]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उप दुग्ध आयुक्त	07	—	100%	—
2	सहायक दुग्ध आयुक्त	15	25%	75%	—

अनुसूची—तीन

(नियम—8 देखिये)

सीधी भर्ती किये जाने हेतु व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

स. क.	विभाग का नाम	पदों का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	नियुक्ति प्राधिकारी	शैक्षणिक अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	सहायक दुग्ध आयुक्त	21 वर्ष	30 वर्ष	राज्य शासन	(1) भारत या विदेश द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दुग्ध प्रौद्योगिकी में स्नातक या समकक्ष, तथा (2) शासकीय / अर्धशासकीय संस्था में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र / डेयरी विकास / डेयरी विस्तार कार्य में 5 (पॉच) वर्षों का कार्य अनुभव ।

टीप— छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा समय—समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गए निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी ।

अनुसूची—चार

(नियम—14 देखिये)

स. क.	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी हैं	पदोन्नति की पात्रता हेतु अनुभव की न्यूनतम सेवा अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सहायक दुग्ध आयुक्त	उप दुग्ध आयुक्त	05 वर्ष	1. अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य— अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव या सचिव— सदस्य 3. संचालक, पशुपालन सेवा — सदस्य सचिव
2	पारी प्रबंधक	सहायक दुग्ध आयुक्त	05 वर्ष	—तदैव—

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ–01–18/2009/35.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23–09–2013 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह, सचिव.

Raipur, The 23rd September 2013

NOTIFICATION

No. F1-18/2009/35. - In exercise of powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, regulating the recruitment and condition of service of the Chhattisgarh Dairy (Gazetted) Service, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Chhattisgarh. Dairy (Gazetted) Service, Recruitment Rules, 2013.
(2) These rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – In these rules, unless the context otherwise, requires:-
   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government of Chhattisgarh;
   (b) "Committee" means a selection committee meant for Departmental Promotion as specified in Schedule-IV;
   (c) "Commission" means Chhattisgarh Public Service Commission;
   (d) "Examination" means a competitive Examination held for requirement conducted under rule 11 of these rules;
   (e) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
   (f) "Governor" means Governor of Chhattisgarh;
   (g) "Other Backward Class" means Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December 1984, as amended from time to time;
   (h) "Schedule" means the Schedule appended to these Rules;
   (i) "Scheduled Caste" means the Schedule Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;
   (j) "Scheduled Tribe" means the Schedule Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;
   (k) "Services" means the Chhattisgarh Dairy (Gazetted) Service;
   (l) "State" Means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application** – Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service.**– The Service shall consist of the following persons, namely :-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;
(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and
(3) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay etc.** – The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached there to shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.**– (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) by direct recruitment, through competitive examination or by selection on the basis of merit and Interview;
(b) by promotion of members of the service;
(c) by transfer/deputation of persons, who hold in a substantive capacity such post in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (a), (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may after consultation with the Commission adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment to the service the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time under this Act by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. **Appointment in Service.** – All the appointments to the service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointments shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.**– In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(I) Age - (a) He must have attained the age as specified in column (4) of Schedule-III and not attained the age as specified in column (5) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 (five) years, if a candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) For women candidates the upper age limit shall be relaxable upto 10 (ten) years as per the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 (seven) years even if represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 (three) years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service;

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all Defense Service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service :-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concession;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;
(b) On fulfilling the conditions of enrollment.

(iii) Ex-servicemen (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);

(iv) Ex-servicemen/Officers discharged after working for more than 6 (six) months continuously against leave vacancies;

(v) Ex-servicemen invalidated out of service;

(vi) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot, wounds, etc.

The upper age limit shall be relaxable upto 2 (two) years in respect of Green Card holder candidates under the Family Welfare Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 (five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple as per Chhattisgarh Inter Caste Marriage, Promotional Scheme under untouchability Eradication Rules, 1984;

(h) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 (five) years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award and Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Award holder candidates and National Youth Award holder young candidates;

(i) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards;

(j) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard Service rendered so by them subject to the limit of 8 (eight) years but in no case their age should exceed 38 years;.

Note-(1) The candidates, who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in rule 8(d)(i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or posts after submitting the applications.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed, The Departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the selection.

(k) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above category for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years;

(l) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time shall also be applicable.

(II) Educational qualifications and experience – The candidate must possess the educational qualifications and experience as prescribed for service as shown in Schedule-III.

(III) Fees – (A) The Candidate must pay the fees prescribed by the Commission.

(B) The Candidate who has been required to appear before Medical Board must pay the fees as prescribed by the Government to the Chairman of the Medical Board before medical test.

9. **Disqualification.** – Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to be disqualified for selection.

(1) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post;

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule in such candidates.

(2) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that, if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(3) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(4) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(5) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(6) Any candidate who is having more than two living offspring, out of which is born on 26th January, 2001 or thereafter, shall not be eligible for any service or post.

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more than two children are born, shall not be disqualified for any service or post.

10. **Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final.**– (1) The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission for examination/ interview, shall be allowed to be appear in the examination or interview.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Commission that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Commission.

11. **Direct recruitment by Selection/Competitive Examination/ Interview.**– (1) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission, from time to time, determine.

(2) Competitive examination shall be conducted by the Commission as per such syllabus, examination plan and directions issued by the Government on consultation with the Commission, from time to time.

(3) The selection of the candidates to the service shall be made in such manner as may be determined by the Commission.

(4) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under it by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

(5) There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.

(6) In addition to above, the post for person with disability/ex-serviceman shall be reserved in accordance with the Act/Rule/ Order/ instructions issued by the Government from time to time.

(7) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(8) In addition to above the candidates who may women/person with disability/ex-servicemen and who is selected consequent to reservation, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank with other candidates.

(9) Those candidates belonging to the Schedule Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Commission keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (7) as the case may be.

(10) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the post to be filled in, by direct recruitment and it is found in the opinion of the Government that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Competent Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

12. **List of candidates selected by the Commission.–** (1) The Commission shall prepare a list, arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Commission for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to women, person with disability/ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standard due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Government.

(2) List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Commission's website for the information to the general public.

(3) A select list for each category shall be prepared by the Commission for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be one and half year from the date of issue of such select list.

Explanation- While calculating 25% vacant posts in each category, to make it an integer, point shall be extended to the next integral number.

(4) Commission shall forward the selection list prepared under sub- rule (1) to the Government for further action regarding appointment.

(5) Subject to the provisions of this rule and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(6) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

(7) Any candidate, whose name is included in the selection list, do not join the duty within the valid period, or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the name of candidate from waiting list can be recommended by the Commission for appointment.

(8) If a request is being received from the Government asking to send names of the candidates from waiting list, then the Commission, as per the above provisions, will recommend the names from the waiting list and send it to the Government.

(9) Commission after receiving the proposal from the Government, can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reason to the Government.

(10) On extending the validity period of select list for 6 months, the validity period of waiting list will automatically deem to be extended for 6 months.

(11) The validity of selection list, prepared under sub-rule (8) and (9), shall not be extended by the Commission unless the Government makes any recommendation stating valid reason for extension.

13. **Probation**.- (1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

(2) If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period upto a maximum of 1 year.

(3) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer, then the services of such probationer can be terminated.

14. **Appointment by Promotion.**– (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule–IV, for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roster.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of section 6 of the said Act

15. **Conditions regarding eligibility for promotion.**– (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on the first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made as specified in column (2) of Schedule-IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (3) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation: - Method of computation for eligibility for promotion- The calculation of the period of qualifying service on the 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/ promotion during 1 year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Government Servants are not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved

post may be made from the persons belonging to reserved category above mentioned area of consideration. Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion the course of 1 year.

(3) The name of public servant in requisite number for each cadre shall be considered for the purpose of inclusion of his name upto 25 percent of number of public servant included in the selection list or to that of two public servant, whichever is more to fill the unexpected vacancies during above said duration apart from expected vacancies under sub-rule (2).

(4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(5) Other provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable for promotion.

16. **Preparation of list of suitable Candidates.**– (1) The Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in rule 14 and 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of period of 1 year from the date of preparation of the select list. In addition to this a reserve list, which shall consist one and minimum upto 25% in each category, shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

(2) The list of suitable officers shall be prepared as per the provision of the Chhattisgarh, Lok Seva (Promotion) Rules, 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, as the case may be, then the committee shall record its reason for the proposed supersession.

17. **Consultation with the Commission.**– (1) The list prepared in accordance with Rule 16 shall be sent to Commission along with following documents:-

(i) the record of all the persons included in the list.

(ii) record of all such persons mentioned in column (2) of Schedule-IV who are proposed for supersession as recommended in the list.

(iii) recorded reasons of the committee for the proposed supersession of any person of the service as mentioned in column (2) of Schedule-IV

(iv) remarks of the Government on the recommendations of the committee.

(2) If the Chairman of Commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the above action under sub–rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

18. **Select List** – (1) Commission shall consider over the list along with the documents received from the Government, prepared by the committee, if it feel that there is no need of making any changes then it shall approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any change in the list received from ther Government, the Commission shall inform the Government of the Changes proposed and if the Government expresses any opinion after considering it, along with such modifications, if any in its opinion that is just and proper, will approve the list.

(3) The select list finally approved by the Commission shall be approved select list for promotion of the members of Civil Services as mentioned in column (3) of Schedule-IV from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(4) The validity of select list shall not be extended beyond 31st December from the date of its preparation:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission, if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

19. **Appointment to the service from the select List.**– (1) Appointment of the officers included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officers appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the Select list to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the Select list and the date of the proposal appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

20. **Probation:** – Every person recruited directly or by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

21. **Interpretation**:-If question arises relating to the Interpretation of these rules, it shall be referred to State Government, whose decision thereon shall be final.

22. **Relaxation**– Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be justified and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

23. **Repeal and saving** – (1) All rules corresponding to these rules other rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules affect reservation to be provided for the Schedule Caste / Schedule Tribe and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by State Government from time to time in the regards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEVENDRA SINGH, Secretary.

SCHEDULE – I

(See Rule 5)

S. No.	Name of post included in the service	Number of Total posts			Classification	Scale of Pay	Grade Pay
		Permanent	Temporary	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Deputy Milk Commissioner	07	-	07	Gazetted-Class-I	15600-39100	6600/-
2	Assistant Milk Commissioner	15	-	15	Gazetted-Class-II	15600-39100	5400/-

SCHEDULE – II

(See Rule 6)
Method of Recruitment

S. No.	Name of posts	Total Number of duty posts	Percentage of posts to be filled in		
			By direct recruitment [see rule 6(1)(a)]	By promotion [see rule 6(1)(b)]	By transfer [see rule 6(1)(c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Deputy Milk Commissioner	07	-	100%	-
2	Assistant Milk Commissioner	15	25%	75%	-

SCHEDULE – III

(See Rule 8)
Age and qualification of the person to be direct recruited

S. No.	Name of Department	Name of Posts	Minimum Age Limit	Maximum Age limit	Appointing Authority	Educational Qualifications
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Animal Husbandry and Dairy Department	Assistant Milk Commissioner	21 Years	30 Years	State Government	(1)Graduation in Dairy Technology or equivalent from India or Abroad by Recognized University and (2) 5 (five) Year working experience in Dairy Processing Plant / Dairy Development / Dairy extension work in Government / semi-government Institute

Note- The upper age limit shall be relaxed, for the candidate who are bonafide local resident of Chhattisgarh State, as per instruction issued by the General Administrative Department, from time to time.

SCHEDULE – IV

(See Rule 14)

S. No.	Name of Service or Post from which promotion is to be made	Name of Service or Post to which promotion is to be made	Minimum service period of experience for eligibility of promotion	Name of member of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Assistant Milk Commissioner	Deputy Milk Commissioner	05 Years	1. Chairman of Public Service Commission or the member nominated by the Chairman - Chairman 2. Chief Secretary or Additional Chief Secretary or Secretary - Member 3. Director, Veterinary Services - Member Secretary
2	Shift Manager	Assistant Milk Commissioner	05 Years	.........do..........

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.